मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 अक्टूबर 2012-आश्विन 27, शके 1934

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती नीता करकरे पत्नी श्री अजीत करकरे, आयु वयस्क, निवासी—म. नं. 403, कृष्णा आकृति एन्क्लेव, जी-1/ई-8, गुलमोहर कॉलोनी, भोपाल. विवाह के पूर्व मेरा नाम कु. सुलक्षणा पंडित पुत्री स्व. श्री सुधाकर पंडित था. विवाह के पश्चात् मैं, श्रीमती नीता करकरे पत्नी श्री अजीत करकरे के नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ.

पुराना नाम :
(सुलक्षणा पंडित)

नया नाम :
(नीता करकरे)

(168-बी.)

नाम परिवर्तन

मेरी पक्षकारा श्रीमती माही मुकाती पति श्री राकेश मुकाती, उम्र 28 वर्ष, निवासी—हाल मुकाम राजस्व कॉलोनी, रतलाम से प्राप्त सूचना अनुसार निम्नानुसार जाहिर सूचना प्रेषित है.

मेरी पक्षकारा विवाह के पूर्व कु. रिंकू चौधरी पिता श्री प्रेमनारायण चौधरी जो कि उसके समस्त अंकसूची एवं प्रमाण-पत्रों में दर्ज है, परन्तु अब उन्होंने अपना नाम परिवर्तन कर श्रीमती माही मुकाती पति श्री राकेश मुकाती के नाम से जान जावे व यही नाम भविष्य में भी प्रभावशील रहेगा तथा समस्त दस्तावेज आदि भी श्रीमती माही मुकाती के नाम से ही प्रभावशील होंगे. सो सूचित हों.

प्रीति सोलंकी,
(एडव्होकेट)
श्री राम भवन, 3, छत्रीपुल, रतलाम.

(169-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व में नाम उप-नाम सहित अंशुल बिन्दल (ANSHUL BINDAL) से परिवर्तित होकर मेरा नया नाम उप-नाम सहित अंशुल अग्रवाल (ANSHUL AGRAWAL) हो गया है. अत: अब मुझे अपने नये नाम उप-नाम सहित अंशुल अग्रवाल (ANSHUL AGRAWAL) से जाना एवं पहचाना जाये.

पुराना नाम :
(अंशुल बिन्दल)
(ANSHUL BINDAL)

नया नाम :
(अंशुल अग्रवाल)
(ANSHUL AGRAWAL)

(170-बी.)

विष्णु सदन, लक्ष्मीगंज,गुना (मध्यप्रदेश).

नाम परिवर्तन

मैं, अपने पक्षकार राजेन्द्र कुमार अग्रवाल गोत्र मंगल पिता श्री पुरूषोत्तमदास अग्रवाल गोत्र मंगल, निवासी ब्यावरा, जिला-राजगढ़, मध्यप्रदेश की ओर से सर्व-साधारण को सूचित करता हूं कि मेरे पक्षकार के नाम में भिन्नता होकर कुछ दस्तावेजों में इनका नाम राजेन्द्र कुमार अग्रवाल दर्ज है तथा कुछ दस्तावेजों जैसे बैंक, वित्तीय संस्थानों व आयकर विभाग आदि में राजकुमार अग्रवाल, गोत्र मंगल का नाम दर्ज है. वस्तुत: उक्त दोनों ही नाम मेरे पक्षकार राजेन्द्र कुमार अग्रवाल के हैं, परन्तु अब इन्होंने दो नामों के स्थान पर एक ही नाम मेरे पक्षकार राजेन्द्र कुमार अग्रवाल गोत्र मंगल नाम का उपयोग करने का निर्णय मेरे पक्षकार ने लिया है. जिन संस्थानों व विभाग इत्यादि में इनका नाम राजकुमार अग्रवाल दर्ज है उन सभी में नाम परिवर्तन की कार्यवाही भी की जा रही है. अत: आगे से भविष्य में मेरा पक्षकार एक ही नाम राजेन्द्र कुमार अग्रवाल गोत्र मंगल के नाम से जाना जावेगा.

भवदीय :

पं. चन्द्रकान्त त्रिपाठी,
एडवोकेट
ब्यावरा, जिला-राजगढ़ (मध्यप्रदेश).

(171-बी.)

CHANGE OF NAME

मैं, ब्रिगेडियर पी एस राणा, यह घोषणा करता हूँ कि मेरे पुत्र का पूर्व नाम PRERIT RANA है. जो कि ARMY के डिपेंन्डेंन्ट कार्ड में भी दर्ज है. अब मैं अपने पुत्र का नाम PRRERIT RANA करवाना चाहता हूँ. मेरे पुत्र का सरकारी एवम् अर्धसरकारी दस्तावेजों में 'PRRERIT, RANA' के नाम से जाना व पहचाना जाए.

ब्रिगेडियर पी एस राणा,
क्वार्टर नम्बर पी-7, खुलना मार्ग,
न्यू एस आई लाईन्स, भोपाल (मध्यप्रदेश).

(172-बी.)

CHANGE OF NAME

This is to inform that my name SOUBHAGYA KUMAR MOHAPATRA is mistakenly recorded as SOUBHAGYA MOHAPATRA, in my son's (Abhilash Mohapatra) School records & 10th Class Educational Certificates. This omission has to be rectified and my name is to be correctly recorded as SOUBHAGYA KUMAR MOHAPATRA in the above records. 301, Milan Apartment, Mohan Nagar, Thatipur, Gwalior.

Old Name :
(SOUBHAGYA MOHAPATRA)

New Name :
(SOUBHAGYA KUMAR MOHAPATRA)
301, Milan Apartment, Mohan Nagar,
Thatipur, Gwalior (Madhya Pradesh).

(174-B.)

CHANGE OF SURNAME

This is to notify all, that my name was Sanchita Agrawal Daughter of Shri Anil Agrawal, resident of E-18, Balwant Nagar, Gwalior, Madhya Pradesh, India. I have got married to Gwalior Resident Shri Aayush Saxena Son of Shri Anuj Saxena, Resident of B-449, Anand Nagar, Bahodapur, Gwalior on 18th January, 2012.

Post marriage my name should be recognized and identified as Smt. Sanchita Saxena wife of Shri Aayush Saxena and in all my documents my surname should be indicated as Smt. Sanchita Saxena W/o Shri Aayush Saxena.

Old Name :
(Sanchita Agrawal)
D/o Shri Anil Agrawal,
E-18, Balwant Nagar,
Gwalior (Madhya Pradesh).

New Name :
(Sanchita Saxena)
W/o Shri Aayush Saxena,
B-449, Anand Nagar, Double Road,
Bahodapur, Gwalior (Madhya Pradesh).

(175-B.)

जहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स श्रीराम शर्मा स्टोन क्रेशर, ई-25, न्यू विवेकानन्द कॉलोनी, थाटीपुर, ग्वालियर (मध्यप्रदेश) ने अपनी साझेदारी फर्म में 01 अप्रैल, 2012 को संशोधन कर नवीन साझेदार श्रीमती माया देवी शर्मा पत्नी श्री रामनिवास शर्मा, निवासी-ई-25, न्यू विवेकानन्द कॉलोनी, थाटीपुर, ग्वालियर (मध्यप्रदेश) को सम्मिलित किया गया है. भविष्य में फर्म से संबंधित सभी प्रकार के लेनदेन या अन्य कार्यों में अपने शेयर के मुताबिक जिम्मेदार होंगे और ये फर्म के चालू रहने वाले अन्य साझेदारों को स्वीकार है.

रामनिवास शर्मा,
मेसर्स श्रीराम शर्मा स्टोन क्रेशर,
पार्टनर.

(173-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, जावरा, जिला रतलाम

जावरा, दिनांक 25 सितम्बर, 2012

प्र.क्र. /बी-113/2011-12.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) के तहत्]

क्र./2776/आर-1/2012.—आवेदक श्री महावीर स्वामी जैन श्वेताम्बर मंदिर ट्रस्ट ग्राम रियावन, द्वारा अध्यक्ष श्री बाबुलाल पिता गणेशलाल जी नाहर व अन्य सदस्यगण द्वारा धारा-4 मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर श्री महावीर स्वामी जैन श्वेताम्बर मंदिर ट्रस्ट ग्राम रियावन, तहसील पिपलौदा का पंजीयन चाहा गया है. जिसकी सुनवाई दिनांक 25 अक्टूबर, 2012 को उपखण्ड कार्यालय जावरा पर दोपहर 02.30 बजे की जावेगी.

अत: जिस किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो प्रकरण में नियत दिनांक 25 अक्टूबर, 2012 को इस कार्यालय में स्वयं या अपने अधिवक्ता या अपने प्रतिनिधि के द्वारा दो प्रतियों में लिखित में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें. नियत दिनांक एवं समय समाप्त होने पर प्रस्तुत की जाने वाली आपत्तियों पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम तथा सम्पत्ति का विवरण)

1. न्यास का पूरा नाम व पता : श्री महावीर स्वामी जैन श्वेताम्बर मंदिर ट्रस्ट ग्राम रियावन, तहसील पिपलौदा,
2. अचल सम्पत्ति का विवरण : 1. भवन करीब 68 फीट लम्बाई, पूर्व पश्चिम व चौड़ाई उत्तर दक्षिण 24 फीट, 6 इंच, इसके अलावा मन्दिर के नाम से ग्राम रियावन स्थित कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 1262 रकबा 2.150 हैक्टर तथा सर्वे क्रमांक 1761 रकबा 0.020 हैक्टर.
3. चल सम्पत्ति : रुपये 30,000/- नगद व भगवान महावीर स्वामी की अंगी व छत्र 2.500 ग्राम चांदी के तथा मंदिर में विमल नाथ भगवान की मंदरी भी है जिसमें 2.500 चांदी की अंगी बनी हुई है इस प्रकार कुल 5 किलो चांदी की रकमें हैं जिसकी कीमत लगभग रु. 2.50 हजार की है तथा भगवान के गले की एक चैन सोने की 10 ग्राम की है जिसकी कीमत लगभग 28 हजार रुपये है.

के. वासुकि,
रजिस्ट्रार एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(505)

न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक लोक न्यास, दतिया

दतिया, दिनांक 28 सितम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का तीसवाँ) की धारा-5 की उप-धारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये]

क्र./Q.— श्री हरगोविन्द (बड़े गोस्वामी) पुत्र स्व. श्री भगवानदास गोस्वामी, उपाध्यक्ष राष्ट्रगुरु 1008 श्री स्वामी जी महाराज लोक सेवा न्यास, दतिया, निवासी—अजयपाल मंदिर के सामने, दतिया ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951(1951 का तीसवाँ) की धारा-4 के अधीन

अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मेरे न्यायालय में दिनांक 05 नवम्बर, 2012 को विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास का सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना लोक न्यास है उसका गठन करती है.

अत: मैं, पंजीयक, लोक न्यास, अनुभाग दतिया का लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 05 नवम्बर, 2012 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास का सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन)

1. लोक न्यास का नाम और पता	..	राष्ट्रगुरु 1008 श्री स्वामी जी महाराज लोक सेवा न्यास, दतिया भोलानाथ कॉं मकान, कुंजनपुरा, दतिया.
2. चल सम्पत्ति	..	निरंक
3. अचल सम्पत्ति	..	निरंक

कमलेश भार्गव,

(504) पंजीयक.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, शहर एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर, 2012

क्र./07/बी-113/11-12.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा- 5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

समक्ष: रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, जिला भोपाल.

1. आवेदक न्यासी श्री कस्तुर चंद जैन बजाज, अध्यक्ष, निवासी भोपाल द्वारा उपस्थित होकर श्री कस्तुर चंद चमेली बाई जैन बजाज धमार्थ ट्रस्ट, जिला भोपाल के मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र सूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है.

2. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रकरण मेरे न्यायालय में दिनांक 15 अक्टूबर, 2012 को विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, तो लिखित में दो प्रतियों में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के एक माह के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम व पता	..	श्री कस्तुर चंद चमेली बाई जैन बजाज धमार्थ ट्रस्ट, भोपाल.
कार्यालय का पता	..	59, सौरभ भवन, खंचाजी गली, लोहा बाजार, भोपाल.
अचल सम्पत्ति	..	निरंक.
चल सम्पत्ति	..	रुपये 13,000/-

जी. एस. धुर्वे,

(495) अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं संयुक्त कलेक्टर, उज्जैन

प्र. क्र. /बी-113/2011-12.

प्रारूप-चार

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा-5 की उप-धारा (2)

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये]

पंजीयक,

लोक न्यास, उज्जैन,

जिला उज्जैन के समक्ष.

चूँकि प्रतिनिधि श्री प्रवीण बम पिता बसंतीलालजी बम, निवासी—53, आजाद नगर, उज्जैन आदि ने श्री शीतल धार्मिक परमार्थिक न्यास, उज्जैन ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 09 अक्टूबर, 2012 को प्रातः 11.00 बजे स्थान कोठी पैलेस, उज्जैन का विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास एवं संयुक्त कलेक्टर उज्जैन, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 09 अक्टूबर, 2012 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी, न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

न्यास का नाम	..	श्री शीतल धार्मिक परमार्थिक न्यास, उज्जैन
कार्यालय	..	53, आजाद नगर, उज्जैन
अचल सम्पत्ति	..	वृंदावनपुरा, महावीर नगर, उज्जैन भवन क्रमांक 67 क्रय दिनांक 22 नवम्बर, 2004 रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र की छायाप्रति के आधार पर.
चल सम्पत्ति	..	ट्रस्ट के पास नगद 5,000/- रुपये हैं.

आर. एस. मीना,
पंजीयक एवं संयुक्त कलेक्टर.

(496)

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, तहसील इन्दौर (ग्रामीण क्षेत्र), इन्दौर

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

मदर अर्थ एज्युकेशन ट्रस्ट, इन्दौर मध्यप्रदेश कार्यालय ग्लोबल इण्डियन इन्टरनेशनल स्कूल, एन.एच.-59, ओमनी प्राइड 7, कि.मी. इन्दौर-अहमदाबाद रोड, ग्राम सिंहासा, तहसील व जिला इन्दौर की ओर से आवेदक श्री शिवन कुट्टी पिता श्री जर्नाधनन नायर निवासी ए-9 गणेश पार्क वाडावली सेक्सन, अम्बरनाथ इस्ट ठाणे, मुम्बई-421505 द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिवस) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम	:	मदर अर्थ एज्युकेशन ट्रस्ट, इन्दौर, मध्यप्रदेश
पता	:	ग्लोबल इण्डियन इन्टरनेशनल स्कूल, एन.एच.-59, ओमनी प्राइड 7, कि.मी. इन्दौर-अहमदाबाद रोड, ग्राम सिंहासा, तहसील व जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक
चल सम्पत्ति	:	रुपये 5,000/- (अक्षरी रुपये पाँच हजार केवल)

आज दिनांक 03 सितम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

विवेक श्रोत्रिय,
रजिस्ट्रार.

(509)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

जय माँ काली महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या.,हंसरई सादपुर,

द्वारा : हल्की वइ, अध्यक्ष,

महिला बहु. सहकारी समिति मर्या.,हंसरई सादपुर,

पोस्ट—सादपुर, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर.

जय माँ काली महिला बहु. सहकारी समिति मर्या.,हंसरई सादपुर, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 1200, दिनांक 03 मई, 2005 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अत: इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(498)

"कारण बताओ सूचना-पत्र"

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

इंदिरा गांधी महिलाबहु. सहकारी समिति मर्या., चमारी,

द्वारा : श्रीमती कृष्णा बाई, अध्यक्ष,

महिलाबहु. सहकारी समिति मर्या., चमारी,

पोस्ट—देवल, विकासखण्ड बीना, जिला सागर.

इंदिरा गांधी महिलाबहु. सहकारी समिति मर्या., चमारी, विकासखण्ड बीना, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 1202, दिनांक 03 मई, 2005 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अत: इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(498-A)

"कारण बताओ सूचना-पत्र"

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., सेमरा रामचंद्र,

द्वारा : श्रीमती राजकुमारी लोधी, अध्यक्ष,

महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., सेमरा रामचंद्र.

पोस्ट—....., विकासखण्ड बन्डा, जिला सागर.

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सेमरा रामचंद्र, विकासखण्ड बन्डा, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 1204, दिनांक 16 जून, 2005 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अत: इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(498-B)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., हिरनछिपा,

द्वारा : श्रीमती रामकुमारी, अध्यक्ष,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., हिरनछिपा,

पोस्ट—हिरनछिपा, विकासखण्ड मालथौन, जिला सागर.

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., हिरनछिपा, विकासखण्ड मालथौन, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 1205, दिनांक 30 जून, 2005 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अत: इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(498-C)

"कारण बताओ सूचना-पत्र"

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

महिला बहु. सहकारी समिति मर्या.,सेमरा अहीर.

द्वारा : श्रीमती लक्ष्मी बाई, अध्यक्ष,

महिला बहु. सहकारी समिति मर्या.,सेमरा अहीर,

पोस्ट—....., विकासखण्ड बन्डा, जिला सागर.

महिला बहु. सहकारी समिति मर्या.,सेमरा अहीर, विकासखण्ड बन्डा, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 1207, दिनांक..... (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अत: इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(498-D)

"कारण बताओ सूचना-पत्र"

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., चन्द्रापुर.

द्वारा : श्रीमती कमलेश, अध्यक्ष,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., चन्द्रापुर,

पोस्ट—. . . . . ,विकासखण्ड खुरई, जिला सागर.

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., चन्द्रापुर, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 1211, दिनांक 02 अगस्त, 2005 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अत: इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(498-E)

"कारण बताओ सूचना-पत्र"

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., लुहर्रा.

द्वारा : पुष्पा पटेल, अध्यक्ष,

महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., लुहर्रा,

पोस्ट—भेड़ा, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर.

महिला बहु.सहकारी समिति मर्या., लुहर्रा, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 1198,दिनांक 15 अप्रैल, 2005 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अत: इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(498-F)

"कारण बताओ सूचना-पत्र"

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., बमाना.

द्वारा : श्रीमती विनीता बाई, अध्यक्ष,

महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., बमाना,

पोस्ट—भेड़ा, विकासखण्ड बन्डा, जिला सागर.

महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., बमाना, विकासखण्ड बन्डा, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 1196, दिनांक 15 अप्रैल, 2005 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अत: इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(498-G)

"कारण बताओ सूचना-पत्र"

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., वेरखेड़ी सुवंश.

द्वारा : श्रीमती शोभारानी, अध्यक्ष,

महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., वेरखेड़ी सुवंश,

पोस्ट—केंट सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर.

महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., वेरखेड़ी सुवंश, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 886, दिनांक 27 जुलाई, 2002 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अत: इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(498-H)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., पथरिया हाट.

द्वारा : श्रीमती हेमलता, अध्यक्ष,

महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., पथरिया हाट,

पोस्ट—केंट सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर.

महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., पथरिया हाट, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 887, दिनांक 27 जुलाई, 2002 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अत: इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(498-I)

"कारण बताओ सूचना-पत्र"

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

वंशिया महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., वंशिया (बरौदा).

द्वारा : प्रकाश रानी, अध्यक्ष,

वंशिया महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., वंशिया (बरौदा),

पोस्ट—बरौदा, विकासखण्ड रहली, जिला सागर.

वंशिया महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., वंशिया (बरौदा), विकासखण्ड रहली, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 956, दिनांक 28 फरवरी, 2002 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अत: इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(498-J)

"कारण बताओ सूचना-पत्र"

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., वम्होरी खुर्द.

द्वारा : श्रीमती ववीता, अध्यक्ष,

महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., वम्होरी खुर्द,

पोस्ट—गौरा खुर्द, विकासखण्ड बन्डा, जिला सागर.

महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., वम्होरी खुर्द, विकासखण्ड बन्डा, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 806, दिनांक 22 अप्रैल, 2002 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अत: इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(498-K)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., जैसीनगर.

द्वारा : श्रीमती संतोषरानी, अध्यक्ष,

आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., जैसीनगर,

पोस्ट—जैसीनगर, विकासखण्ड जैसीनगर, जिला सागर.

आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., जैसीनगर, विकासखण्ड जैसीनगर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 1017, दिनांक 21 जनवरी, 2003 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अत: इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(498-L)

"कारण बताओ सूचना-पत्र"

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., रामपुर.

द्वारा : श्रीमती मालती देवी, अध्यक्ष,

आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., रामपुर,

पोस्ट—बीना, विकासखण्ड बीना, जिला सागर.

आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., रामपुर, विकासखण्ड बीना, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 839, दिनांक 04 जून, 2002 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अत: इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तदनुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(498-M)

"कारण बताओ सूचना-पत्र"

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., गिदवानी.

द्वारा : श्रीमती गीतारानी, अध्यक्ष,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., गिदवानी,

पोस्ट—केरवना, विकासखण्ड सागर, जिला सागर.

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या.,गिदवानी, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 1181, दिनांक 25 फरवरी, 2005 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अत: इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(498-N)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

रानी दुर्गावती महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पिपरिया पाठक.

द्वारा : श्रीमती शकुन गुरु, अध्यक्ष,

रानी दुर्गावती महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पिपरिया पाठक,

पोस्ट—रसैना, विकासखण्ड देवरी, जिला सागर.

रानी दुर्गावती महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पिपरिया पाठक, विकासखण्ड देवरी, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 1185, दिनांक 07 मार्च, 2005 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अत: इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(498-O)

"कारण बताओ सूचना-पत्र"

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., लहरावदा.

द्वारा : श्रीमती मीना ठाकुर, अध्यक्ष,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., लहरावदा,

पोस्ट—कंजिया, विकासखण्ड बीना, जिला सागर.

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., लहरावदा, विकासखण्ड बीना, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 1152, दिनांक 06 सितम्बर, 2004 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अत: इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(498-P)

"कारण बताओ सूचना-पत्र"

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., हिन्नौद.

द्वारा : श्रीमती गुड्डी बाई, अध्यक्ष,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., हिन्नौद,

पोस्ट—हिन्नौद, विकासखण्ड बीना, जिला सागर.

महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., हिन्नौद, विकासखण्ड बीना, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 1136, दिनांक 05 अगस्त, 2004 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अत: इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(498-Q)

"कारण बताओ सूचना-पत्र"

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

कर्मा बाई बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., रहली.

द्वारा : बसंत सीरोठिया, अध्यक्ष,

कर्मा बाई बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., रहली,

पोस्ट—वार्ड 13, विकासखण्ड रहली, जिला सागर.

कर्मा बाई बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., रहली, विकासखण्ड रहली, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 1227, दिनांक 11 सितम्बर, 2006 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अत: इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(498-W)

"कारण बताओ सूचना-पत्र"

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

दुर्गा बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., सानौधा.

द्वारा : जगदीश अहिरवार, अध्यक्ष,

दुर्गा बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., सानौधा,

पोस्ट—....., विकासखण्ड सागर, जिला सागर.

दुर्गा बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., सानौधा, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 1229, दिनांक 06 दिसम्बर, 2006 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अत: इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था पंजीयन विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

एस. के. जैन,
सहायक पंजीयक.

(498-X)

"कारण बताओ सूचना-पत्र"

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

आदर्श गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सागर.

द्वारा : श्री डी. पी. अग्रवाल, अध्यक्ष,

आदर्श गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सागर,

पोस्ट—....., विकासखण्ड ....., जिला सागर.

आदर्श गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 12, दिनांक 17 दिसम्बर, 1980 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अत: इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, डा. एस. डी. पाण्डेय, उप- पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(498-R)

"कारण बताओ सूचना-पत्र"

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल,

गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., रहली.

द्वारा : प्राधिकृत अधिकारी, अध्यक्ष,

गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., रहली,

पोस्ट—रहली, विकासखण्ड रहली, जिला सागर.

गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., रहली, विकासखण्ड रहली, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 123, दिनांक 24 अप्रैल, 2001 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अत: इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, डा. एस. डी. पाण्डेय, उप- पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(498-S)

"कारण बताओ सूचना-पत्र"

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत्]

प्रति,

संचालक मण्डल,

इंदिरा गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., केसली.

द्वारा : अमृत सिंह ठाकुर, अध्यक्ष,

इंदिरा गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., केसली,

पोस्ट—....., विकासखण्ड ....., जिला सागर.

इंदिरा गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., केसली, विकासखण्ड केसली, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 17, दिनांक 21 अप्रैल, 1981 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक/स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अत: इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, डॉ. एस. डी. पाण्डेय, पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(498-T)

"कारण बताओ सूचना-पत्र"

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत्]

प्रति,

संचालक मण्डल,

मध्यम वर्गीय आय कर्म. गृ. नि. सहकारी समिति मर्या., खुरई.

द्वारा : ....., अध्यक्ष,

मध्यम वर्गीय आय कर्म. गृ. नि. सहकारी समिति मर्या., खुरई,

पोस्ट—....., विकासखण्ड खुरई, जिला सागर.

मध्यम वर्गीय आय कर्म. गृ. नि. सहकारी समिति मर्या., खुरई, विकासखण्ड खुरई, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 26, दिनांक 09 जुलाई, 1973 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक/स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के, संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हित के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अत: इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, डॉ. एस. डी. पाण्डेय, पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(498-U)

"कारण बताओ सूचना-पत्र"

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत्]

प्रति,

संचालक मण्डल,

टेक्नीकल टीचर्स गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सागर.

द्वारा : श्री एस. के. भटट्, अध्यक्ष,

टेक्नीकल टीचर्स गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सागर,

पोस्ट—....., विकासखण्ड सागर, जिला सागर.

टेक्नीकल टीचर्स गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 43, दिनांक 19 फरवरी, 1987 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्रमांक स.पं.सा./अंकेक्षण/12/205, दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत 3 वर्षों से अकार्यशील है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के, संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हित के प्रतिकूल आचरण कर संस्था को अकार्यशील रखे जाने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अत: इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था 3 वर्षों से अकार्यशील है.

संस्था को उपर्युक्त कारण से परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, डॉ. एस. डी. पाण्डेय, पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

एस. डी. पाण्डेय,
उप पंजीयक.

(498-V)

कार्यालय परिसमापक, किसान एग्री. डेवलपमेंट सहकारी संस्था मर्या., बुरहानपुर

बुरहानपुर, दिनांक 27 जनवरी, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./2012क्यू.— किसान एग्री. डेवलपमेंट सहकारी संस्था मर्यादित, बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक ....., दिनांक ..... है, को उप- पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/70, दिनांक 25 जनवरी, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत विवेक पिंपलीकर, सहकारी निरीक्षक, जिला बुरहानपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बहादरपुर रोड, बुरहानपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में समस्त दावेदार (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में मय प्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. संस्था का रिकार्ड भी अभी तक परिसमापक को प्राप्त नहीं हुआ है. अत: रिकार्ड आपके पास होने की दशा में सम्पूर्ण रिकार्ड भी परिसमापक को सौंपा जावे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(499)

कार्यालय परिसमापक, चमन महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बुरहानपुर

बुरहानपुर, दिनांक 27 जनवरी, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत]

चमन महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक 1882, दिनांक 30 अप्रैल, 2002 है, को उप- पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/69, दिनांक 25 जनवरी, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत विवेक पिंपलीकर, सहकारी निरीक्षक, जिला बुरहानपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में कार्यालय उप- पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बहादरपुर रोड, बुरहानपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में समस्त दावेदार (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में मय प्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. संस्था का रिकार्ड भी अभी तक परिसमापक को प्राप्त नहीं हुआ है. अत: रिकार्ड आपके पास होने की दशा में सम्पूर्ण रिकार्ड भी परिसमापक को सौंपा जावे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

विवेक पिंपलीकर,
परिसमापक.

(499-A)

कार्यालय परिसमापक, सागर पावरलुम बुनकर सहकारी संस्था मर्या., बुरहानपुर

बुरहानपुर, दिनांक 25 जनवरी, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत]

सागर पावरलुम बुनकर सहकारी संस्था मर्यादित, बुरहानपुर पंजीयन क्रमांक 191, दिनांक 17 अगस्त,1990 है, को उप- पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/विधी/2012/60, दिनांक 25 जनवरी, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत हरीशचंद्र महाजन, उप-अंकेक्षक, जिला बुरहानपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में कार्यालय उप- पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बहादरपुर रोड, बुरहानपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में समस्त दावेदार (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में मय प्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. संस्था का रिकार्ड भी अभी तक परिसमापक को प्राप्त नहीं हुआ है. अत: रिकार्ड आपके पास होने की दशा में सम्पूर्ण रिकार्ड भी परिसमापक को सौंपा जावे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(500)

कार्यालय परिसमापक, उदय पावरलुम बुनकर सहकारी संस्था मर्या., बुरहानपुर

बुरहानपुर, दिनांक 25 जनवरी, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत]

उदय पावरलुम बुनकर सहकारी संस्था मर्यादित, बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक 836, दिनांक 20 मई, 1992 है, को उप- पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/विधी/2012/61, दिनांक 25 जनवरी, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत हरीशचंद्र महाजन, उप-अंकेक्षक, जिला बुरहानपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में कार्यालय उप- पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बहादरपुर रोड, बुरहानपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में समस्त दावेदार (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में मय प्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. संस्था का रिकार्ड भी अभी तक परिसमापक को प्राप्त नहीं हुआ है. अत: रिकार्ड आपके पास होने की दशा में सम्पूर्ण रिकार्ड भी परिसमापक को सौंपा जावे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(500-A)

कार्यालय परिसमापक, सुविधा महिला औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., नेपानगर

बुरहानपुर, दिनांक 25 जनवरी, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत]

सुविधा महिला औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., नेपानगर, पंजीयन क्रमांक 1340 दिनांक 20 नवम्बर,1984 है, को उप- पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/विधी/2012/63, दिनांक 25 जनवरी, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत हरीशचंद्र महाजन, उप-अंकेक्षक , जिला बुरहानपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में कार्यालय उप- पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बहादरपुर रोड, बुरहानपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में समस्त दावेदार (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में मय प्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. संस्था का रिकार्ड भी अभी तक परिसमापक को प्राप्त नहीं हुआ है. अत: रिकार्ड आपके पास होने की दशा में सम्पूर्ण रिकार्ड भी परिसमापक को सौंपा जावे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(500-B)

कार्यालय परिसमापक, हनुमान पशुपालन सहकारी संस्था मर्या., बुरहानपुर

बुरहानपुर, दिनांक 25 जनवरी, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत]

हनुमान पशुपालन सहकारी संस्था मर्यादित, बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक 1840, दिनांक 12 नवम्बर, 2001 है, को उप- पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/विधी/2012/62, दिनांक 25 जनवरी, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत हरीशचंद्र महाजन, उप-अंकेक्षक, जिला बुरहानपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में कार्यालय उप- पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बहादरपुर रोड, बुरहानपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में समस्त दावेदार (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में मय प्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. संस्था का रिकार्ड भी अभी तक परिसमापक को प्राप्त नहीं हुआ है. अत: रिकार्ड आपके पास होने की दशा में सम्पूर्ण रिकार्ड भी परिसमापक को सौंपा जावे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(500-C)

कार्यालय परिसमापक, महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ईच्छापुर

बुरहानपुर, दिनांक 25 जनवरी, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत]

महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ईच्छापुर, पंजीयन क्रमांक 1795 दिनांक 28 अगस्त, 2002 है, को उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/विधी/2012/64, दिनांक 25 जनवरी, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत हरीशचंद्र महाजन, उप-अंकेक्षक, जिला बुरहानपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में कार्यालय उप- पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बहादरपुर रोड, बुरहानपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में समस्त दावेदार (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे.

यद्दि निर्धारित अवधि में मय प्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. संस्था का रिकार्ड भी अभी तक परिसमापक को प्राप्त नहीं हुआ है. अत: रिकार्ड आपके पास होने की दशा में सम्पूर्ण रिकार्ड भी परिसमापक को सौंपा जावे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एच. सी. महाजन,
परिसमापक.

(500-D)

कार्यालय परिसमापक, चांदनी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चांदनी

बुरहानपुर, दिनांक 27 जनवरी, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2012/1.— चांदनी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चांदनी, पंजीयन क्रमांक 2126, दिनांक 24 जनवरी, 2009 है, को उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2012/47, दिनांक 25 जनवरी, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत बी. एस. भंवर, सह. निरीक्षक, जिला बुरहानपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में कार्यालय उप- पंजीयक, पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बहादरपुर रोड, बुरहानपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में समस्त दावेदार (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में मय प्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. संस्था का रिकार्ड भी अभी तक परिसमापक को प्राप्त नहीं हुआ है. अत: रिकार्ड आपके पास होने की दशा में सम्पूर्ण रिकार्ड भी परिसमापक को सौंपा जावे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(501)

कार्यालय परिसमापक, चंदन पावरलुम बुनकर सहकारी संस्था मर्या., बुरहानपुर

बुरहानपुर, दिनांक 27 जनवरी, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2012/1.— चंदन पावरलुम बुनकर सहकारी संस्था मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक 1399, दिनांक 19 सितम्बर,1980 है, को उप- पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2012/48, दिनांक 25 जनवरी, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत बी. एस. भंवर, सह. निरीक्षक, जिला बुरहानपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में कार्यालय उप- पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बहादरपुर रोड, बुरहानपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में समस्त दावेदार (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में मय प्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. संस्था का रिकार्ड भी अभी तक परिसमापक को प्राप्त नहीं हुआ है. अतः रिकार्ड आपके पास होने की दशा में सम्पूर्ण रिकार्ड भी परिसमापक को सौंपा जावे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(501-A)

कार्यालय परिसमापक, सुयोग पावरलुम बुनकर सहकारी संस्था मर्या., बुरहानपुर

बुरहानपुर, दिनांक 27 जनवरी, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2012/1.—सुयोग पावरलुम बुनकर सहकारी संस्था मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक 1723, दिनांक 02 नवम्बर,1999 है, को उप- पंजीयक,सहकारी समितियाँ, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2012/51, दिनांक 25 जनवरी, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत बी. एस. भंवर, सह. निरीक्षक, जिला बुरहानपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में कार्यालय उप- पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बहादरपुर रोड, बुरहानपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में समस्त दावेदार (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में मय प्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. संस्था का रिकार्ड भी अभी तक परिसमापक को प्राप्त नहीं हुआ है. अतः रिकार्ड आपके पास होने की दशा में सम्पूर्ण रिकार्ड भी परिसमापक को सौंपा जावे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(501-B)

कार्यालय परिसमापक, ग्रीन पावरलुम बुनकर सहकारी संस्था मर्या., बुरहानपुर

बुरहानपुर, दिनांक 27 जनवरी, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम 1962, के नियम 57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2012/1.— ग्रीन पावरलुम बुनकर सहकारी संस्था मर्या., बुरहानपुर, पंजीयन क्रमांक 2073, दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 है, को उप- पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2012/50, दिनांक 25 जनवरी, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत बी. एस. भंवर, सह. निरीक्षक, जिला बुरहानपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में कार्यालय उप- पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बहादरपुर रोड, बुरहानपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में समस्त दावेदार (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में मय प्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. संस्था का रिकार्ड भी अभी तक परिसमापक को प्राप्त नहीं हुआ है. अत: रिकार्ड आपके पास होने की दशा में सम्पूर्ण रिकार्ड भी परिसमापक को सौंपा जावे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(501-C)

कार्यालय परिसमापक, दिपक पावरलुम बुनकर सहकारी संस्था मर्या., बुरहानपुर

बुरहानपुर, दिनांक 27 जनवरी, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम 1962, के नियम 57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2012/1.— दिपक पावरलुम बुनकर, सहकारी संस्था मर्या., बुरहानपुर पंजीयन क्रमांक 1736, दिनांक 05 नवम्बर,1999 है, को उप- पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला बुरहानपुर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2012/49, दिनांक 25 जनवरी, 2012 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत बी. एस. भंवर, सह. निरीक्षक, जिला बुरहानपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में कार्यालय उप- पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बहादरपुर रोड, बुरहानपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में समस्त दावेदार (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे.

यदि निर्धारित अवधि में मय प्रमाण कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे. संस्था का रिकार्ड भी अभी तक परिसमापक को प्राप्त नहीं हुआ है. अत: रिकार्ड आपके पास होने की दशा में सम्पूर्ण रिकार्ड भी परिसमापक को सौंपा जावे.

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 27 जनवरी, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

बी. एस. भंवर,
परिसमापक.

(501-D)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2012.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 अक्टूबर-2012-आश्विन 27, शके 1934

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 04 जुलाई, 2012

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के निम्नलिखित जिलों में वर्षा का होना पाया गया है:—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील कराहल (श्योपुर), दतिया (दतिया), मुंगावली, चन्देरी (अशोकनगर), बिजावर (छतरपुर), अजयगढ़, पन्ना, पवई (पन्ना), बीना, रेहली, देवरी, गढ़कोटा ,मालथोन (सागर), हटा, बटियागढ़, दमोह, पथरिया, जवेरा, तेन्दूखेड़ा (दमोह), रघुराजनगर, नागौद, उचेहरा, रामनगर, (सतना), सोहागपुर, जैसिंहनगर, जैतपुर (शहडोल), अनूपपुर, कोतमा, (अनूपपुर), कुसमी, (सीधी),सुवासरा-टप्पा, गरोठ, मंदसौर, संजीत, सीतामऊ (मंदसौर),मनासा (नीमच), पेटलावद (झाबुआ), बदनावर (धार), खिलचीपुर, राजगढ़ (राजगढ़), बैरसिया (भोपाल), घोड़ाडोंगरी, चिचोली, बैतूल, मुलताई (बैतूल), बावई, इटारसी, वनखेड़ी (होशंगाबाद), मझोली (जबलपुर),करेली, नरसिंहपुर, तेन्दूखेड़ा (नरसिंहपुर), मंडला, घुघरी, नारायणगंज (मण्डला), केवलारी, लखनादौन, घंसौर (सिवनी), लांजी, बैहर, वारासिवनी, कटंगी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील गुन्नौर (पन्ना), सागर, राहतगढ़ (सागर), रामपुर-बघेलान, (सतना), बुढार (शहडोल), जेतहरी, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), बांधवगढ़ (उमरिया), मल्हारगढ़ (मंदसौर), जावद, नीमच (नीमच), उज्जैन, बड़नगर (उज्जैन), झाबुआ, राणापुर (झाबुआ), भामरा (अलीराजपुर), बड़वानी (बड़वानी), हरसूद (खण्डवा), खकनार (बुरहानपुर), जीरापुर, नरसिंहगढ़ (राजगढ़), सीहोर, नसरूल्लागंज (सीहोर), भैंसदेही, आठनेर (बैतूल), सोहागपुर, पचमढ़ी (होशंगाबाद), पाटन (जबलपुर), गाडरवाड़ा (नरसिंहपुर), डिण्डोरी, शाहपुरा (डिण्डोरी), बरघाट, कुरई (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील महिदपुर, तराना, घटिया (उज्जैन), उदयगढ़ (अलीराजपुर), मनावर, धरमपुरी (धार), कसरावद, भगवानपुरा (खरगौन), ठीकरी, अंजड़ (बड़वानी), नेपानगर (बुरहानपुर), इछावर (सीहोर), होशंगाबाद (होशंगाबाद), निवास, बिछिया (मंडला), सिवनी, धनोरा, छपारा (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) **53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.**—तहसील खाचरौद (उज्जैन), थांदला, मेघनगर (झाबुआ), जोवट, अलीराजपुर, सोण्डवा, कट्टीवाड़ा (अलीराजपुर), सरदारपुर, धार, कुक्षी, गंधवानी, डही (धार), बड़वाह, महेश्वर, खरगौन, गोगावां, भीकनगांव, झिरन्या (खरगौन), राजपुर, सेंधवा, पानसेमल, पाटी, निवाली, वरला (बड़वानी), खण्डवा, पंधाना (खण्डवा), बुरहानपुर (बुरहानपुर), सारंगपुर (राजगढ़), हुजूर (भोपाल), आष्टा, बुधनी (सीहोर), सिवनी-मालवा, पिपरिया (होशंगाबाद), छिन्दबाड़ा, जुन्नारदेव, परासिया, जामई, सौंसर, पांढुर्णा, अमरबाड़ा, चौरई, बिछुआ, मोहखेड़ा, हर्रई (छिन्दबाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, दमोह, सतना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, झाबुआ, धार, बुरहानपुर, भोपाल, सीहोर, मण्डला, छिन्दबाड़ा तथा सिवनी में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला डिण्डोरी, में फसल, मक्का, धान, सोयाबीन, राहर व ग्वालियर, अशोकनगर, दमोह, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, मंदसौर, झाबुआ, धार, खरगौन, बड़वानी, राजगढ़, भोपाल, सीहोर, होशंगाबाद, मण्डला, छिन्दवाड़ा तथा बुरहानपुर, हरदा, सिवनी में खरीफ फसल की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**— . .

5. **कटाई.**— . .

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, सागर, दमोह, सतना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, नीमच, शाजापुर, झाबुआ, खरगौन, राजगढ़, सीहोर, बैतूल, नरसिंहपुर तथा बालाघाट में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 04 जुलाई, 2012

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
***जिला मुरैना :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पोरसा	. .		(2) . .		
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	10.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	. .				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. अटेर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
जिला ग्वालियर:	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. ग्वालियर	. .	चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	. .				
4. घाटीगांव	. .				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	11.0		(2) . .	. .	
3. भाण्डेर	. .				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) . . .	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2.बोनी का कार्य चालू है	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. मुँगावली	6.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	5.0				
5. शाढौरा	. .				
***जिला गुना :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गुना	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. राघोगढ़	. .		(2) . .		
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
7. मकसूदनगढ़	. .				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. मोहनगढ़	. .				
8. ओरछा	. .				
9. लिधौरा	. .				
10. खरगापुर	. .				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	10.0				
7. बड़ामलहरा	. .				
8. बकस्वाहा	. .				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	1.8		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	2.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	22.0				
4. पवई	3.0				
5. शाहनगर	. .				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	7.2		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	. .				
4. सागर	29.7				
5. रेहली	7.3				
6. देवरी	14.0				
7. गढ़ाकोटा	14.2				
8. राहतगढ़	25.0				
9. केसली	0.2				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2.जुताई एवं बोनी का कार्य	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	6.0	चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	5.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	14.2				
4. पथरिया	8.0				
5. जवेरा	4.0				
6. तेन्दूखेड़ा	2.4				
7. पटेरा	. .				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	4.3		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बघेलान	20.0				
4. नागौद	6.1				
5. उचेहरा	2.0				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	4.0				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	. .				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	. .	चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. सेमरिया	. .				
4. मऊगंज	. .				
5. मनगवां	. .				
6. हनुमना	. .				
7. हजूर	. .				
8. गुढ़	. .				
9. रायपुरकर्चुलियान	. .				
10. जबा	. .				
11. नईगढ़ी	. .				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	5.0	चालू है.	4.(1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. जैसिंहनगर	2.0				
4. जैतपुर	10.0				
5. बुढ़ार	19.8				
6. गोहाक	. .				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	20.0	चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	3.2		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	3.0				
4. पुष्पराजगढ़	26.6				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. . .
1. बांधवगढ़	28.6		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	. .				
4. कुसमी	5.0				
5. चुरहट	. .				
6. रामपुरनैकिन	. .				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगरौली	. .				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	10.4		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	33.0				
4. गरोठ	15.0				
5. मन्दसौर	14.0				
6. सीतामऊ	14.0				
7. धुन्धडका	. .				
8. शामगढ़	. .				
9. संजीत	17.0				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	30.6		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	24.2		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	11.0				
***जिला रतलाम :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जावरा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. आलोट	. .		(2) . .		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	60.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	43.8		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	39.0				
4. घटिया	35.0				
5. उज्जैन	34.0				
6. बड़नगर	25.2				
7. नागदा	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
5. बड़ौद	. .				
6. शाजापुर	. .				
7. शुजालपुर	. .				
8. कालापीपल	. .				
9. गुलाना	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला देवास :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. टोंकखुर्द	. .		(2) . .		
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	71.2	चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	57.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	14.8				
4. झाबुआ	24.0				
5. राणापुर	23.0				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. जोवट	61.4		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. सोण्डवा	88.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. अलीराजपुर	65.0				
4. कट्ठीवाड़ा	61.8				
5. भामरा	31.0				
6. उदयगढ़	52.6				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	2.4	चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	145.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. धार	285.4				
4. कुक्षी	86.8				
5. मनावर	53.0				
6. धरमपुरी	40.0				
7. गंधवानी	119.0				
8. डही	73.0				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	108.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सनावद	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. महेश्वर	54.4				
4. सेगांव	38.0				
5. करही	. .				
6. खरगोन	56.8				
7. गोगावां	54.0				
8. कसरावद	37.0				
9. मुल्ठान	. .				
10. भगवानपुरा	53.0				
11. भीकनगांव	63.0				
12. झिरन्या	62.0				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	28.2		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	49.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	71.0				
4. सेंधवा	97.0				
5. पानसेमल	106.4				
6. पाटी	104.0				
7. निवाली	92.0				
8. अंजड	49.0				
9. वरला	97.0				
जिला पूर्व-निमाड़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	96.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	75.3		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	18.0				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं खरीफ की बोनी	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	54.4	का कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	23.4		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	47.3				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	21.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	15.5		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	3.0				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	52.9				
6. नरसिंहगढ़	30.2				
7. पचोर	. .				
***जिला विदिशा :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. लटेरी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. सिरोंज	. .		(2) . .		
3. कुरवाई	. .				
4. बासौदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. ग्यारसपुर	. .				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	10.2	चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	57.1		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	21.8	चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. श्यामपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. आष्टा	69.0				
4. जावर	. .				
5. इछावर	39.2				
6. नसरुल्लागंज	33.0				
7. बुधनी	77.0				
8. रेहटी	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला रायसेन :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. रायसेन	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. गैरतगंज	. .		(2) . .		
3. बेगमगंज	. .				
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. उदयपुरा	. .				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	22.4		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	13.3		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	. .				
4. चिचौली	4.1				
5. बैतूल	0.8				
6. मुलताई	11.0				
7. आमला	. .				
8. आठनेर	21.3				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	57.2		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	50.4		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बाबई	14.0				
4. इटारसी	13.4				
5. सोहागपुर	33.0				
6. पिपरिया	63.3				
7. वनखेड़ी	17.1				
8. पचमढ़ी	26.0				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की बोनी	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	. .				
4. हण्डिया	. .				
5. रहटगांव	. .				
6. सिराली	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	. .	चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	34.4		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	. .				
4. मझौली	8.0				
5. कुण्डम	. .				
***जिला कटनी :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. कटनी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. रीठी	. .		(2) . .		
3. विजयराघवगढ़	. .				
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				
7. बड़वारा	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	18.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. करेली	10.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नरसिंहपुर	10.0				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेन्दूखेड़ा	3.0				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. निवास	36.0	चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	52.7		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	. .				
4. मण्डला	5.4				
5. घुघरी	14.0				
6. नारायणगंज	17.1				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. मक्का, धान, सोयाबीन,	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	20.7	राहर की बोनी का कार्य	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	23.2	चालू है.	(2) . .	चारा पर्याप्त.	
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	96.4	चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	51.8		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	220.6				
4. जामई (तामिया)	153.2				
5. सोंसर	98.8				
6. पांढुर्णा	88.6				
7. अमरवाड़ा	157.6				
8. चौरई	76.0				
9. बिछुआ	65.8				
10. हर्रई	166.6				
11. मोहखेड़ा	216.4				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं खरीफ की	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	52.0	बोनी का कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	10.4		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादौन	4.0				
4. बरघाट	18.4				
5. कुरई	24.0				
6. घंसौर	2.0				
7. धनोरा	51.6				
8. छपारा	44.6				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	15.4		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	8.0				
4. वारासिवनी	4.1				
5. कटंगी	12.2				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला मुरैना, गुना, रतलाम, देवास, विदिशा, रायसेन, कटनी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(494)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2012.